न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्, वैशाली, हाजीपुर।

जमानत आवेदन सं0–986 / 2026

जंदाहा थाना कांड सं0–295 / 2026
धारा–191(2), 191(3), 126(2), 115(2), 109, 117(2), 303(2), 351(2), 352 बी0एन0एस0

आदेश

31.07.2026 काराधीन अभियुक्तगण / आवेदकगण सूरज कुमार, आनंद कुमार सिंह, बलवंत कुमार, की ओर से नियमित जमानत हेतु आवेदन, धारा 483 बी0एन0एस0 के तहत प्रस्तुत मामले में दाखिल किया गया है जो जंदाहा थाना कांड सं0–295 / 26, अधीन धारा–191(2), 191(3), 126(2), 115(2), 109, 117(2), 303(2), 351(2), 352 बी0एन0एस0 से उद्भूत है एवं आवेदकगण दिनांक 30.06.2026 से कारा में संसमित है। अभिलेख करीब बीस दिनो के ज्यादा से सुनवाई हेतु लंबित है लेकिन अभियोजन के द्वारा बार–बार आदेश के पश्चात् भी जख्म प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, चूँकि अभियुक्त कराधीन है एवं पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् भी आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका है। अतः ऐसी परिस्थिति में अभिलेख पर मौजूद तथ्य के आलोक में आदेश पारित किया जा रहा है।

अभियुक्त / आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री उदय शंकर सिंह को तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री खालिद लतीफ को विस्तार से सुना।

अभियोजन वाद का अंतर सार यह है कि, दिनांक 02.06.2026 को दो बजे दिन में आनंद कुमार सिंह(आवेदक), धीरज कुमार सिंह, जगमोहन सिहं, बलवंत कुमार (आवेदक), सूरज कुमार(आवेदक), सुनिल कुमार, हनुमान कुमार, अहिल्या देवी, सन्नी कुमार, प्रिंस कुमार अपने–अपने हाथ में लाठी–डंडा, लोहे का रड्ड लेकर सूचिका के घर में जबरन घुस गये तथा सूचिका एवं उसके परिवार के सदस्यो को गाली–गलौज करते हुये घर का ग्रील पीटते हुये क्षतिग्रस्त कर दिये, और जब सूचिका जान बचाकर छत पर भागी तो आनंद कुमार सिंह मेरे सर का बाल पकड़कर पटक दिया और बेलंगन कर दिया तथा मारपीट करने लगा, जिससे सूचिका के हाथ की तीन अंगुली टूट गया, तथा धीरज कुमार और जगमोहन सिंह ने लाठी–डंडे से मारकर गौरव कुमार को बुरी तरह जख्मी कर दिया तथा बलवंत कुमार अपने हाथ में लिये लोहे के रड्ड से जान मारने की नियत से दीपक के सर पर मारा जिससे उसका सर फट गया जिससे काफी खून गिरने लगा, तथा सूरज कुमार, सुनिल कुमार, हनुमान कुमार, सन्नी कुमार, प्रिंस कुमार सभी मिलकर सौरव कुमार को लाठी–डंडा से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया तथा अहिल्या देवी के गले से सोन का चैन छीन लिया ।

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्, वैशाली, हाजीपुर।

जमानत आवेदन सं0–986 / 2026

जंदाहा थाना कांड सं0–295 / 2026

लगातार

31.07.2026 अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष यह अभिकथित किए है कि, आवेदकगण इस वाद में दिनांक 30.06.2026 से न्यायिक हिरासत में है। आवेदक द्वारा इस जमानत आवेदन के पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया था । आवेदकगण / अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उसे इस वाद में पुरानी दुश्मनी तथा पैसे के विवाद के कारण इस वाद में झूठा फॅसाया गया है तथा आवेदक ने आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन का संपूर्ण मामला झूठा एवं मनगढ़त है। आवेदक का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण / अभियुक्तगण का कथन है कि, दिनांक 02.06.2026 को समय दो बजे दोपहर में, इस वाद के सह अभियुक्त उपेन्द्र सिंह अपना घर बनाने हेतु ट्रैक्टर से बालू–सीमेंट लेकर अपने घर आये थे, इस पर सूचक के परिवार वाले उग्र हो गये और उपेन्द्र सिंह को गाली–गलौज एवं मार–पीट करने लगे जिसके कारण उपेन्द्र सिंह द्वारा जंदाहा थाना कांड सं0 296 / 26 सूचक एवं उसके परिवार वालो पर दायर किया गया तथा वर्तमान वाद उस वाद का पलटा मुकदमा है जो इस वाद के सह अभियुक्त उपेन्द्र सिंह के द्वारा किया गया है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

जबकि, विद्वान अपर लोक अभियोजक आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत आवेदन को खारिज किए जाने का निवेदन किए है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख अवलोकन का अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि, आवेदकगण के विरूद्व लोहे के रड्ड से मार–पीट कर उंगली तोड़ने एवं सर फोड़ने का आरोप लगाया गया है जबकि आवेदक बलवंत कुमार के विरूद्व कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा कांड दैनिकी के कंडिका 15 एवं 16 में घटना का समर्थन किया गया है लेकिन किसी के विरूद्व घटना कैसे कारित किया गया है उस संदर्भ में कोई कथन नहीं किया गया है। पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् भी न्यायालय के समक्ष जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकगण के पक्ष के द्वारा भी अभियोजन पक्ष के विरूद्व जंदाहा थाना कांड सं0 296 / 26, धारा 126(2), 115(2), 109, 352, 351(2), 117(2), 3(5) बी0एन0एस0 कें अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया गया । आवेदकगण करीब एक माह से कारा में संसमित है। आवेदकगण किसी अन्य प्रकार के आपराधिक इतिहास नहीं होने का दावा करते है।

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्, वैशाली, हाजीपुर।

जमानत आवेदन सं0–986 / 2026

जंदाहा थाना कांड सं0–295 / 2026

लगातार

31.07.2026

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं आवेदकगण / अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा अवधि को देखते हुए एवं कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने के आधार पर, प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण / आवेदकगण को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः यह आदेशित किया जाता है कि, अभियुक्त / आवेदकगण द्वारा कुल 10,000 / –(दस हजार रूपए) के उसी समान राशि के दो–दो प्रतिभूगण के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर अभियुक्तगण / आवेदकगण **सूरज कुमार, आनंद कुमार सिंह, बलवंत कुमार,** को प्रस्तुत मामले में जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि, (क) अगर आरोप पत्र / अंतिम प्रपत्र किसी गंभीर अपराध के लिए इस वाद में समर्पित किया जाता है तो आवेदकगण / अभियुक्तगण को पुनः जमानत आवेदन दाखिल करना होगा, (ख)अगर उनके विरूद्व किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास पाया जाता है तो उनका बंध–पत्र खंडित कर दिया जायेगा तथा (ग) आवेदकगण आरोप गठन तक सदेह उपस्थित रहेंगें ।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,सप्तम्,
वैशाली, हाजीपुर